<u>न्यायालय न्याायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं0–5 लखीमपुर–खीरी।</u>

वेदराम बनाम दीपक उर्फ बबलू

परिवाद सं–

<u>दिनांक 18–12–2021</u>

पत्रावली पेश हुई । पुकार कराई गयी कोई भी पक्षकार उपस्थित नही । उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित । कोई स्थगन प्रार्थना पत्र कोई हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । अवलोकन से विदित हुआ कि पत्रावली वास्ते साक्ष्य 200 सी०आर०पी०सी हेतु दिनांक 25–10–2019 से नियत चली आ रही है पक्षकारों को पूर्व मे कई बार अवसर प्रदान किया जा चुका है । परिवाद पर बल देने हेतु आज भी कोई उपस्थित नही है । परिवादी की उदासीनता से ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी परिवाद चलाने मे अभिरूचि नही रखती है । अतएव परिवाद बलहीन होने के आधार पर मेरे मत मे खारिज किये जाने योग्य है ।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत परिवाद बल के अभाव मे अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 मे खारिज किया जाता है।

पत्रावली दाखिल दफतर हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट संख्या–5 लखीमपुर खीरी ।
JO CODE UP–3562